HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc bail (Suspension Of Sentence) Application No.174/2026

In

S.B. Criminal Revision Petition No. 668/2026

Pratap Singh S/o Buddhiram, Aged About 57 Years, R/o Chokipura, Police Station Kumher At Present District Deeg (Rajasthan). (At Present Accused-Petitioner In Central Jail, Bharatpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Gajender Singh Rathore
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

29/04/2026

याची/अभियुक्त **प्रताप सिंह** की ओर से विचारण न्यायालय–**न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–2, भरतपुर** द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या–**314/2018, सी0आई0एस0 नंबर 1662/2018, सरकार बनाम प्रताप सिंह** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **17.03.2025** व अपीलीय न्यायालय–**सेशन न्यायाधीश, भरतपुर** द्वारा दाण्डिक अपील संख्या–**153/2025 (सी0आई0एस0 नंबर–153/2025), प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य** में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक **02.04.2026** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दो वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि दौराने विचारण एवं अपील याची/अभियुक्त जमानत पर आजाद रहा है तथा वर्तमान में वह अपील के निर्णय की दिनांक 02.04.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है, निगरानी याचिका में याची/अभियुक्त के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान है, निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों, याची/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि एवं निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है।

परिणामतः याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि याची/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **01.06.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो याची/अभियुक्त **प्रताप सिंह पुत्र श्री बुद्धिराम** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन कारावास की सीमा तक इस निगरानी याचिका के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /52